

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना पवई

25 हजार ईनामिया अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया, गैरेस्टर से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 01.07.2021 को थाना प्रभारी पवई बृजेश सिंह मय हमराह के साथ अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में ग्राम पहाड़पुर पुलिया पर चौकी प्रभारी मित्तूपुर सुनील कुमार सरोज के साथ चेकिंग कर रहे थे चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से तेजी से आते हुए दिखाई दिए। थाना प्रभारी पवई द्वारा रोकने का इशारा करने पर मोटरसाइकिल सवार खंडौरा की तरफ भागने लगे। थाना प्रभारी द्वारा जनपद नियंत्रण कक्ष को अवगत कराते हुए भाग रहे संदिग्धों का पीछा किया गया। जनपद नियंत्रण कक्ष से प्रसारित सूचना पर उसी क्षेत्र में वांछितों की तलाश कर रहे थाना प्रभारी बिलरियागंज भी खंडौरा की तरफ आ गये अभियुक्त अपने आपको दोनों तरफ से घिरा देखकर पुलिस पार्टी पर अवैध असलहे से फायर करने लगा आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा कार्यवाही काये जाने पर अभियुक्त के पैर में गोली लगी। जिससे वह घायल हो गया अभियुक्त की पहचान नदीम पुत्र अकरम निवासी देवापार थाना जीयनपुर के रूप में हुई। जिसको पहाड़पुर पुलिया के बाएं सर्विस लेन खंडौरा से करीब 02:29 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त से पूछताछ पर थाना मुबारकपुर से 25 हजार का ईनामिया व थाना बिलरियागंज से मु०अ०सं० 99/20 व मु०अ०सं० 106/20 में वांछित होने की जानकारी प्राप्त हुई। तथा यह पूर्व से ही 08 मुकदमों में वांछित है। फरार अभियुक्त के बारे में पूछा गया तो बताया कि भागने वाले का नाम मुन्ना नोना पुत्र राजाराम निवासी माहुल, थाना अहरौला का रहने वाला है।

गिरफ्तार अभियुक्त

नदीम पुत्र अकरम निवासी देवापार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

बरामदगी

एक अदद देशी तमंचा 315 बोर।
एक अदद स्प्लेंडर मोटर साइकिल ।
तीन अदद खाली खोखा 9 एमएम
दो अदद खाली खोखा 315 बोर

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 78/21 धारा 307 भा०द०वि० थाना पवई ।
मु०अ०सं० 79/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 78/21 धारा 307 भा०द०वि० थाना पवई ।
2. मु०अ०सं० 79/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
3. मु०अ०सं० 26/20 धारा 379,411 भादवि व 11(घ) पशु कुरता अधिनियम थाना मुबारकपुर (25 हजार रुपये का ईनामिया)

पुलिस टीम

थाना प्रभारी पवई बृजेश सिंह मय हमराह थाना पवई जनपद आजमगढ़ ।

थाना प्रभारी बिलरियागंज धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।